न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/6504/2006/हनुमानगढ

जयचन्द पुत्र आदराम पौत्र बेगाराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

.....अपीलांट/वादी

बनाम

1. साहबराम पुत्र पृथ्वी
2. हेतराम पुत्र पृथ्वी
3. मनोहरी पत्नि स्वर्गीय पृथ्वी

–समस्त जाति ढाढी निवासीगण बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

4. जयमल पुत्र बेगाराम
5. सुल्तान पुत्र बेगाराम
6. श्योपत पुत्र आदराम

–समस्त जाति जाट निवासीगण बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

7. राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता, अपीलांट।
श्री के0के0पुरोहित व श्री हरदत्त सहारण, अधिवक्तागण, रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय **दिनांकः– 15.01.2019**

द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रथम अपील सं. 66/2006 में दिनांक 25–08–2006 को पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के दादा बेगाराम ने अपर जिला कलेक्टर (जागीर) हनुमानगढ के न्यायालय में वाद इस आशय का पेश किया था कि खसरा संख्या 636 की 24 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संया 638 मिन की 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि रामचन्द्र पुत्र उगमाराम जाति बिश्नोई निवासी तन्दूरवाली की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि थी, जिसे वादी बेगाराम ने दिनांक 10-06-1958 को रामचन्द्र से जरिये बयनामा क्रय कर लिया था, किन्तु कागजात माल में खरीद का अमल ना होने के कारण उस समय की गिरदावरी में कब्जाकाश्त रामचन्द्र का ही रहा। बिस्वेदारी की उक्त भूमि जब किलाबन्दी मुरब्बाबन्दी में पैमूद हुई तब वादग्रस्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई, किन्तु चक 10 एफटीपी की जमाबंदी सम्वत 2026 से 2029 में भी उक्त 2 बीघा भूमि रामचन्द्र व वादी बेगाराम के साझा खाते में दर्ज रही। जबकि वक्त खरीद से आज तक कब्जा वादी बेगाराम का व हाल में अपीलान्ट का चला आ रहा है। अभी हाल में भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने बिना किसी आधार व सक्षम न्यायालय के आदेश के रिकार्ड व राईट के खिलाफ जाकर 2 बीघा गैरकानूनी रूप से रकबा राज दर्ज कर दिया। तत्पश्चात इस गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त दो बीघा भूमि रेस्पोर्डेट संख्या 1 के दादा प्रहलाद को आवंटित कर दी। जब वह वादी को उक्त दो बीघा जमीन से बेदखल करने पर उतारू हुआ तब वादी ने खातेदारी घोषणा का वाद 2 बीघा जमीन बाबत प्रस्तुत किया। दौरान वाद वादी का निधन हो जाने पर उसके सभी कायममुकामान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया, जिससे अपीलान्ट अपने महत्वपूर्ण अधिकारों से महरूम हो गया है। प्रकरण वादी के कायममुकामान की तलबी की स्टेज पर लम्बित था, जिसमें केवल एक वारिस श्योपत पुत्र आदराम पर तामील मानकर शेष की तलबी किये बिना राजकीय अभिभाषक की बहस सुनकर दिनांक 31-05-1999 को विचारण न्यायालय ने भूमि रकबाराज करने का आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध अलाटी हरलाल के वारिस रेस्पोर्डेट साहबराम ने राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ के यहां अपील की, जो उनके द्वारा दिनांक 25-08-2006 को गैरकानूनी तरीके से स्वीकार की जाकर 2 बीघा भूमि का रेस्पोर्डेट नं. 1 से 3 को खातेदार घोषित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील पेश की है।

3. इस अपील में विधि के निम्न बिन्दु निहित होना पाये जाते हैः-

(1) क्या वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी में वाद खारिज करते समय बिना किसी काउण्टर क्लेम के प्रतिवादी राज्य सरकार के पक्ष में डिक्री पारित करके विचारण न्यायालय ने अवैधानिकता की है ?

(2) क्या विचारण न्यायालय ने वादी के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लेकर अवैधानिकता की है ?

(3) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी काउण्टर क्लेम के वादग्रस्त भूमि रेस्पोर्डेट संख्या 1 से 3 की बराबर खातेदारी की होना मानते हुए डिक्री पारित करके अवैधानिकता की है ?

4. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की अपील के संबंध में बहस सुनी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की दलील है कि वादी बेगाराम के वारिसान को पक्षकार बनाये बगैर वाद खारिज करके तथा वादग्रस्त भूमि को राजकीय भूमि दर्ज करने का आदेश देकर विचारण न्यायालय द्वारा गम्भीर अवैधानिकता की गई है। इतना ही नहीं, साहबराम ने प्रथम अपील प्रस्तुत करके गैरकानूनी रूप से उक्त दो बीघा भूमि की खातेदारी प्राप्त कर ली है, जबकि मौके पर कब्जा आज भी अपीलान्ट का है। वास्तविक स्थिति यह है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा रिकार्ड में गलत इन्द्राज किये जाने से हरलाल ने गलत तौर पर आवंटन करवा लिया था, जिसे दुरूस्त करवाकर वादी अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकार रखता है। किन्तु विचारण न्यायालय ने विधि के सभी प्रक्रियात्क पहलुओं को ताक पर रखकर एकतरफ तो वादी का वाद खारिज कर दिया, दूसरी तरफ उक्त भूमि रकबाराज दर्ज करने का आदेश दे दिया तथा तीसरी तरफ बिना किसी काउण्टर क्लेम के राजस्व अपील अधिकारी ने उक्त जमीन की खातेदारी रेस्पोर्डेट संख्या 1 से 3 के नाम अंकित करने का गैरकानूनी निर्णय पारित कर दिया है। अतः निवेदन किया गया है कि आक्षेपित निर्णय एवं डिक्रियों को अपास्त किया जाकर बेगाराम द्वारा प्रस्तुत वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर उसके वारिसान को पक्षकार बनाते हुए अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाए।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील का पुरजोर विरोध करते कथन किया गया है कि विवादित भूमि बिस्वेदारी खुदकाश्त की भूमि थी। वास्तव में यह भूमि बेगााम की नहीं थी। हरलाल को भूमिहीन मानते हुए 10 बीघा भूमि राज्य सरकार ने विधि सम्मत रीति से अलाट की थी। उसने तमाम किश्तें जमा करवाई थी एवं सनद भी उसके पक्ष में जारी हुई थी। इसमें से 2 बीघा भूमि आराजी राज दर्ज हो गई। हरलाल के फौत होने के पश्चात उसके पांच वारिसान में से चार वारिसान ने 2-2 बीघा भूमि विक्रय कर दी। विवादित भूमि के अब रेस्पोर्डेट संख्या 1 से 3 बहिस्सा बराबर के हकदार है। विचारण न्यायालय ने बिना जांच किए भूमि राज्य सरकार के नाम बदस्तूर रखने की गलत डिक्री पारित की थी। इसलिए विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह डिक्री उचित रूप से पारित की थी कि वादग्रस्त भूमि के रस्पोर्डेट साहबराम, हेतराम व मनोहरी बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। मौजूदा अपीलांट जयचन्द ने बिना किसी हक व अधिकार के यह अपील प्रस्तुत की है, जिसे खारिज किया जावें।

7. उक्त तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

<u>प्रश्न संख्या 1 व 3</u>:-

8. मृतक वादी बेगाराम ने दिनांक 05-02-1985 को हरलाल व राजस्थान सरकार के विरूद्ध घोषणा व स्थाई व्यादेश के अनुतोष बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया था। उसके द्वारा यह घोषणा चाही गई थी कि वादग्रस्त दो बीघा भूमि का वह खातेदार काश्तकार है। विचारण के दौरान दिनांक 10-7-1985 को वादी असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं आया था। उस रोज वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी खारिज करने के बजाय विचारण न्यायालय ने वादी को जरिए सम्मन तलब करने का आदेश दिया था, जिस पर दिनांक 24-8-1985 को वह वकालतन उपस्थित हुआ था। दिनांक 20-7-1996 को वादी की ओर से उसके पुत्र जयमलराम ने उपस्थित होकर अपने पिता का निधन हो जाना प्रकट किया था एवं उसके वारिसान की मौखिक सूचना न्यायालय में दी थी। उसकी ओर से अधिवक्ता नियुक्त करने बाबत अवसर चाहने पर पेशी 2-11-1996 दी गई थी। आगामी पेशी पर श्री इन्द्राज गोदारा वकील ने वादी के वारिसान की ओर से उपस्थिति दी थी तथा वकालतनामा पेश

करने का अवसर चाहा गया था। आठ अवसर लेने के पश्चात भी वकालतनामा पेश नहीं करने पर विचारण न्यायालय ने मृतक वादी के वारिसान का जरिये नोटिस तलब करने का आदेश दिया था। दिनांक 26-05-1999 को मृतक के वारिसान में से श्योपत पर नोटिस की तामील हुई थी, किन्तु वह उपस्थित नहीं आया। इसलिए उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया था। इस बीच प्रकरण प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की तलबी में भी चलता रहा था। दिनांक 31-5-1999 को विद्वान विचारण न्यायालय ने राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनकर निम्न आदेश पारित किया थाः-

"राजकीय अभिभाषक श्री आर पी जैन उप0। इनकी एकपक्षीय बहस सुनी गयी। इनका कथन हे कि वादी बेगाराम पुत्र लालूराम जाट नि0 बशीर ने एक दावा इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी दिनांक 24-9-1984 को प्रस्तुत किया था, जिसमें 10 एफटीपी के प0नं0 201/240 कि0 न0 6-15 उनके नाम से खातेदारी घोषित करने का निवेदन किया, जो कि जमाबंदी में राजस्थान सरकार अंकित है। यह वाद इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, तलबी जारी हुई, वादी स्वयं का निधन होना उसके पुत्र जयमल ने 28-9-1996 को बताया परन्तु उनके स्थान पर कायममुकाम नहीं बने। वकील श्री इन्द्राज गोदारा ने वकालतनामा प्रस्तुत करने के कई अवसर लिये, अन्ततः वकालतनामा प्रस्तुत नहीं हुआ, फिर भी न्याय हित में अदालत द्वारा वारिसान को तलब कर लिया, जिसमें श्योपत पुत्र आदराम पुत्र बेगाराम के विरूद्ध 26-5-1999 को एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है तथा जयमल उसके पश्चात हाजिर ही नहीं हुआ, ऐसी अवस्था में प्रस्तुत वाद खारिज करते हुए विवादित भूमि को आराजी-राज अंकित रहने का निवेदन किया।

हमने राजकीय अभिभाषक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जबकि यह प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, पक्षकारान के नाम नोटिस जारी किये गये है। बेगाराम वादी के वारिसान को इस दावे की बखूबी ईलम है, परन्तु फिर भी वे आज तक वादी के स्थान पर कायममुकाम नहीं बने है, प्रतिवादी के वारिसान का अभिलेख पर वर्तमान पता उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस प्रकरण में केवल राजस्थान राज्य ही ऐसा फरीक बचता है, जिसे सुनकर निर्णय किया जाना है। वादी बेगाराम का पुत्र जयमल स्वयं भी दि0 28-9-1996 को हाजिर अदालत आया है, परन्तु उसके पश्चात आज तक हाजिर नहीं हुआ, अतः उसके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिये जाते है। बेगाराम के पोते श्योपत के विरूद्ध 26-5-1999 को एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। अतः वाद वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता

है। राजकीय अभिभाषक की इस्तदुआ को उचित मानते हुए प्रश्नास्पद आराजी 10 एफटीपी के प0न0 201/240 कि0न0 6–15 को अभिलेख में आराजी राज बदस्तूर रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुकार होकर बाद तरतीब तकमील हस्व जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावें। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार को भिजवाई जावे''।

इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने एक तरफ वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया तथा दूसरी तरफ राज्य सरकार का काउण्टर क्लेम नहीं होते हुए भी उसके पैरोकार के मौखिक निवेदन पर उसके पक्ष में डिक्री कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री निम्न प्रकार हैः–

''वाद वादी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। राजकीय अभिभाषक की इस्तदुआ को उचित मानते हुए प्रश्नगत आराजी 10 एफटीपी के प0न0 201/240 कि0न0 6–15 को अभिलेख में आराजी राज बदस्तूर रखा जाता है''।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के विपरीत है। धारा 2 (2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में 'डिक्री' को निम्न रूप से परिभाषित किया गया हैः–

''(2) 'डिक्री' से ऐसे न्याय निर्णयन की प्ररूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो, जहां तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से सम्बन्धित है, वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के सम्बन्ध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है और वह या तो प्रारम्भिक या अन्तिम हो सकेगी। यह समझा जाएगा कि इसके अन्तर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है किन्तु इसके अन्तर्गत–

(क) न तो कोई ऐसा न्याय निर्णयन आएगा जिसकी अपील, आदेश की अपील की भांति होती है और

(ख) न व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा।''

इसलिए वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करने पर डिक्री जारी नहीं हो सकती थी, किन्तु विचारण न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधान की अनदेखी करते हुए 'डिक्री' पारित करके गम्भीर अवैधानिकता की है। असल में तो मृतक वादी बेगाराम की मृत्यु होने के 90 दिनों के भीतर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही खुद उन वारिसान को

करनी चाहिए थी। यह प्रक्रिया नियत अवधि में अमल में नहीं लाई गई थी, जिस कारण उसकी मृत्यु के 90 दिनों की अवधि समाप्त होते ही वाद का स्वतः ही उपशमन हो गया था।

9. विचारण न्यायालय द्वारा कारित की गई उक्त गम्भीर अवैधानिकता को प्रथम अपील में दुरूस्त करने की बजाय विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी मौखिक साक्ष्य के मात्र दस्तावेजात के आधार पर हरलाल के वारिस साहबराम की प्रथम अपील को पोषणीय मानकर प्रकरण के गुणावगुण पर उसे तथा हरलाल के शेष दो वारिसान को ही वादग्रस्त भूमि का बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करने की डिक्री पारित कर डाली एवं वादी का वाद खारिज करने का आदेश बरकरार रख दिया। इस प्रकार विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के विपरीत जाकर डिक्री पारित की है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों को बिना समझे और 'स्वनिर्मित संहिता' (Self Made Code) के आधार पर मनमाने तरीके से डिक्रियां पारित की है, जिनका विधि में कोई महत्व नहीं है। अतः विधि के प्रश्न संख्या 1 व 3 इसी प्रकार बहक अपीलांट निर्णित किए जाते है।

<u>प्रश्न संख्या 2</u>:–

9. जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि वादी के वारिसान जयमलराम व श्योपत को वाद के विचारण की जानकारी हो गई थी। उन्होंने नियत 90 दिवस में सभी वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की। जब प्रथम अपील प्रस्तुत हुई तब भी मृतक वादी बेगाराम के वारिसान को बतौर रेस्पोडेंट पक्षकार बनाया गया था, उस समय भी उन्होंने 'एबेटमेन्ट' को अपास्त करने का कोई अनुरोध न्यायालय में नहीं किया। मौजूदा अपील में भी मृतक बेगाराम के वारिसान को नियत अवधि में रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही करने में हुई देरी का कोई पर्याप्त आधार नहीं बतलाया गया है और ना ही इस बाबत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 के तहत कोई आवेदन मय शपथ पत्र पेश हुए है। केवल मात्र मीमो आफ अपील में यह अंकित करने से कि न्यायालय ने सभी वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की, विधि की मंशा पूर्ण नहीं होती है। सिविल कार्यवाहियों में मृतक के वारिसान को बिना किसी उचित प्रार्थना पत्र के एवं (Suo Moto) न्यायालय

द्वारा रिकार्ड पर लेने का कोई प्रावधान नहीं है। मृतक के वारिस या वारिसान स्वयं द्वारा की गई चूक या लापरवाही को न्यायालय की गलती कह कर कोई पक्षकार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता है। इसलिए यह बिन्दु अपीलान्ट के विरूद्ध तय किया जाता है।

10. उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

11. लिहाजा अपीलान्ट जयचन्द द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा वादी का वाद अबेट किया हुआ माना जाकर विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 31-05-1999 व 25-08-2006 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य